भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 185
12 फरवरी, 2026 को उत्तर देने के लिए

किसानों के स्वामित्व वाले खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप्स

†*185. श्री धर्मबीर सिंहः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार द्वारा किसानों के स्वामित्व वाले खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप्स को बढ़ावा दिया जा रहा है/बढ़ावा दिए जाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या ग्रामीण उद्यमियों को अपने उत्पादों की ब्रांडिंग और विपणन के संबंध में पहुंच की कमी का सामना करना पड़ता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या जिला स्तर पर इनक्यूबेशन सहायता उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या संकुल-आधारित खाद्य प्रसंस्करण मॉडल को प्रोत्साहित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) क्या पैकेजिंग और गुणवत्ता प्रमाणन संबंधी सहायता उपलब्ध है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(च) क्या भिवानी-महेन्द्रगढ़ लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र का चयन किसानों के नेतृत्व वाले खाद्य प्रसंस्करण उद्यमिता संकुल के लिए किया जाएगा और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री
(श्री चिराग पासवान)

(क) से (च) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

*****

दिनांक 12.02.2026 को उत्तर हेतु"किसान-स्वामित्व वाले खाद्य प्रसंस्करण स्टार्टअप" के संबंध में लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या *185 के भाग (क) से (च) के उत्तर में संदर्भित विवरण

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ाने, मूल्य-संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देने, नवाचार को बढ़ावा देने और किसानों और उद्यमियों को बेहतर लाभ देने के उद्देश्य से कई योजनाएँ कार्यान्वित कर रहा है। इनमें प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएम-एफएमई) योजना, प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफ़पीआई) शामिल हैं। इन योजनाएँ के अंतर्गत, स्टार्टअप्स, सूक्ष्म उद्यम, किसान उत्पादक संगठन(एफ़पीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और खाद्य प्रसंस्करण में व्यक्तिगत उद्यमियों जैसी पात्र एंटिटीज़ को सब्सिडी प्रोत्साहन और ऋण सहायता मिलती है। पीएमएफ़एमई योजना के अंतर्गत, सरकारी संस्थानों/संगठनों और प्राइवेट एजेंसियों को इनक्यूबेशन सेंटर बनाने में मदद दी जाती है। ये इनक्यूबेशन सेंटर सूक्ष्म उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और व्यक्तिगत उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को उत्पाद विकास, प्रयोगशाला परीक्षण और प्रशिक्षण मदद में सहायता देते हैं।

राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा (निफ्टेम-के) और निफ्टेम, तंजावुर, तमिलनाडु (निफ्टेम-टी) का निफ्टेम टेक्नोलॉजी इनोवेशन एंड बिजनेस इनक्यूबेशन फाउंडेशन (एनटीआईबीआईएफ़) खाद्य और कृषि क्षेत्र में स्टार्टअप्स के साथ-साथ सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम, विद्यार्थी उद्यमियों, अनुसंधान-आधारित वेंचर्स और एफ़पीओ को इनक्यूबेशन सुविधाएं देता है और सहायता करता है।

आज तक, एनटीआईबीआईएफ़ ने देश भर में 55 स्टार्टअप्स को इनक्यूबेट किया है, और लगभग ₹1.19 करोड़ के सीड ग्रांट बांटे हैं। ये वेंचर्स रेडी टू ईट/रेडी टू कुक उत्पादों, फंक्शनल फूड्स, वैकल्पिक प्रोटीन और सप्लाई चेन इनोवेशन जैसे क्षेत्र में फैले हुए हैं। इसके अलावा, निफ्टेम-टी ने 40 एमएसएमई स्टार्टअप्स को सहायता भी प्रदान की है।

एमओएफ़पीआई ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अपने स्वायत्त संस्थान, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, कुंडली, हरियाणा (निफ्टेम-के) के माध्यम से सुफलम (स्टार्टअप फ़ोरम फ़ॉर एस्पायरिंग लीडर्स एंड मेंटर्स) नाम के एक स्टार्टअप कॉन्क्लेव का आयोजन भी किया है। इसके अलावा, एमओएफ़पीआई ने अपने फ्लैगशिप कार्यक्रम वर्ल्ड फ़ूड इंडिया के दौरान निफ्टेम के साथ मिलकर वर्ष 2023, 2024 और 2025 संस्करण के दौरान स्टार्टअप ग्रैंड चैलेंज का आयोजन किया है। स्टार्ट-अप ग्रैंड चैलेंज के विजेताओं को निफ्टेम के माध्यम से नगद पुरस्कार और इनक्यूबेशन सहायता दी जाती है।

(ख): ग्रामीण उद्यमियों को ब्रांडिंग, पैकेजिंग और मार्केट एक्सेस में सहायता करने के लिए, पीएमएफ़एमई योजना एफ़पीओ/एसएचजी/सहकारी समितियों या सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के स्पेशल पर्पस व्हीकल (एसवीपी) को ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए सहायता देती है जिसमें उपभोक्ता खुदरा बिक्री के लिए गुणवत्ता नियंत्रण, माननकीकरण और खाद्य सुरक्षा मानकों का पालन करने के प्रावधान सहित एक कॉमन ब्रांड बनाने के लिए क्लस्टर दृष्टिकोण का अनुसरण करते हुए पात्र परियोजना लागत का 50% तक ग्रांट दिया जाता है ।

इसके अलावा, ग्रामीण विकास मंत्रालय (एमओआरडी) ने एसएचजी के उत्पादों की ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए "सरस", "सरस आजीविका" और "आजीविका" के तौर पर तीन ट्रेडमार्क रजिस्टर किए हैं। इसके अलावा, एसएचजी उत्पादों की बाज़ार तक पहुँच और दृश्यता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर समय-समय पर लगने वाले सरस मेले, सरस गैलरी और ई-कॉमर्स पोर्टल (www.esaras.in) जैसे मार्केटिंग प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं।

(ग): पीएमएफ़एमई योजना कॉमन इनक्यूबेशन सेंटर बनाने और उन्हें मज़बूत करने में सहायता करती है, जो प्रसंस्करण, प्रशिक्षण, परीक्षण और उद्यमिता विकास के लिए स्थानीय हब के तौर पर काम करते हैं। हर इनक्यूबेशन सेंटर में एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) में कम से कम एक प्रसंस्करण लाइन और उससे जुड़े उत्पादों के लिए 3-

5 प्रसंस्करण लाइनें होती हैं और यह कस्टम-हायरिंग के आधार पर काम करता है। अब तक 27 राज्यों/संघ राज्यों में 80 इनक्यूबेशन सेंटर मंज़ूर किए गए हैं।

इसके अलावा, मंत्रालय निफ्टेम के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण स्टार्ट-अप्स, एफ़पीओ, एमएसएमई और ग्रामीण उद्यमियों को इनक्यूबेशन सहायता देती है, जिसमें मूल्य संवर्धन, उद्यमिता विकास और व्यावसायीकरण पर खास ध्यान दिया जाता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय, दीनदयाल अंत्योदय योजना – राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की एक अम्ब्रेला योजना लघु ग्रामीण उद्यम कार्यक्रम (एसवीईपी) के माध्यम से एसएचजी उद्यमों को सहायता करने के लिए मांग-आधारित इनक्यूबेटर कार्यक्रम प्रदान कर रहा है।

(घ): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफ़पीआई) देश में क्लस्टर दृष्टिकोण के आधार पर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित करने के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने हेतु आधुनिक अवसंरचना के विकास के लिए प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) की एक घटक योजना, कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर अवसंरचना (एपीसी) की एक योजना को कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत का 35% की दर से और दुर्गम क्षेत्रों (सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्य, उत्तराखंड राज्य, हिमाचल प्रदेश राज्य, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश, राज्य अधिसूचित आईटीडीपी (एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाएँ) क्षेत्र और द्वीप समूह (अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेश) के साथ-साथ एससी/एसटी, एफ़पीओ और एसएचजी उद्यमियों की परियोजनाओं के लिए पात्र परियोजना लागत के 50% की दर से अधिकतम 10.00 करोड़ रुपये की अनुदान-सहायता की परिकल्पना की गई है।

इसके अलावा, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (एमओए एंड एफ़डबल्यू) बागवानी क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सीडीपी) को कार्यान्वित करता है। इस कार्यक्रम को फसलोपरांत प्रबंधन, खाद्य प्रसंस्करण और बाज़ार एकीकरण पर विशेष ध्यान देते हुए एकीकृत, एंड-टू-एंड मूल्य-श्रृंखला विकास को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है।

(ङ): पीएमएफ़एमई योजना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत, कॉमन ब्रांड के विकास के लिए सहायता दी जाती है। शामिल सूक्ष्म-उद्यमों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएआई) के विनियमों के अनुपालन में उत्पाद विकास, गुणवत्ता आश्वासन, एकीकृत मानक, पैकेजिंग और लेबलिंग की पूरी ट्रेनिंग दी जाती है। इसके अलावा, सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन (डीआरपी) प्रयोज्यता के अनुसार उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन, एफ़एसएसएआई रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन के माध्यम से औपचारिकीकरण में सहायता करते हैं।

(च): पीएमएफ़एमई योजना मांग पर आधारित है और इसे राज्य/संघ राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। कोई भी इच्छुक व्यक्ति/कंपनी योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, मौजूदा सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण सुविधा को अपग्रेड करने या नई सूक्ष्म-खाद्य प्रसंस्करण सुविधा शुरू करने के लिए इसका फ़ायदा उठा सकता है। 31 दिसंबर 2025 तक हरियाणा के भिवानी और महेंद्रगढ़ ज़िलों में 97 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण मंज़ूर किए जा चुके हैं ।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत एपीसी समेत दूसरी योजनाएँ मांग आधारित हैं और समय-समय पर अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) जारी करके प्रस्ताव आमंत्रित किए जाते हैं।

*****